संख्या-4/2016/333 एस0सी0/18-2-16-74/2014

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2016

विषय- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की बन्द सहकारी चीनी मिल सठियांव को डिस्मेन्टल करके ग्राम सठियांव जनपद आजमगढ़ में 3500 टी0सी0डी0 की नई सहकारी चीनी मिल, 15 मेगावाट क्षमता को-जनरेशन प्लान्ट तथा 30 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता की आसवनी प्लान्ट की स्थापना हेतु रू0 52.00 करोड़ (रूपए बावन करोड़ की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व मे शासनादेश संख्या-07/2015/541 एस0सी0/18-2-15-74/2014 दिनांक 12 अगस्त, 2015 द्वारा रू0 68.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-16/2015/1256 एस0सी0/18-2-15-69/2014 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 द्वारा रू0 150.00 करोड़, कुल रू0 218.00 करोड़ अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवशेष रू0 52.00 करोड़ (रूपए बावन करोड़ मात्र) की धनराशि ऋण के रूप में व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की सठियांव चीनी मिल को विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण एवं को-जनरेशन प्लान्ट की स्थापना हेतु तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

2- उक्त स्वीकृत किये जा रहे ऋण की शर्तें निम्नवत् होंगी:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) ब्याज दर 15 प्रतिशत (11.50 + 3.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 3.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 15 प्रतिशत होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगाँठ तिथि को की जानी होगी।

3- उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

4- उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

5- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

6- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

8- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-24 के लेखाशीर्षक-"6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-आयोजनागत-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-08-बन्द सहकारी चीनी मिल सठियांव के स्थान पर 3500 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जाएगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-6-91/दस-16 दिनांक 26 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-4/2016/333 (1) एस0सी0/18-2-2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।